

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक-SM-PRR-2026-03856

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "SAURASHTRA", प्रमोटर-श्री नमन गोयल, पता-ए.एस/ 111, अगेय नगर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" SAURASHTRA" पता-अगेय नगर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
05/10/2026	— प्रकरण प्रस्तुत । — रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा के प्रतिवेदन दिनांक 17.09.2026 के अनुसार पाया गया कि प्रमोटर श्री नमन गोयल, पता-ए.एस/ 111, अगेय नगर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "सौराष्ट्र" पता-खसरा नंबर-1551, वार्ड नंबर-12, अगेय नगर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) प्राधिकरण में पंजीयन क्रमांक-PCGRERA161025001981 के रूप में दिनांक 16.10.2025 से पंजीकृत है। उक्त प्रोजेक्ट के संबंध में आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक-1799/शिका.-11/PUBR-879/2026/नग्रानि/2026, नवा रायपुर के माध्यम से उक्त स्वीकृत विकास अनुज्ञा को छ.ग. भूमि विकास नियम, 1984 के नियम-25 के अंतर्गत प्रतिसंहृत किये जाने संबंधी पृष्ठांकन पत्र प्राप्त हुआ है। चूँकि प्रश्नाधीन परियोजना हेतु प्रदत्त विकास अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किये जाने से परियोजना के अनुमोदित विकास संबंधी आधार में परिवर्तन उत्पन्न हुआ है तथा परियोजना छ.ग. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत है, अतः प्रकरण में भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2026 की धारा-7 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-07 के अंतर्गत पंजीकृत परियोजना के पंजीयन प्रतिसंहृत/रद्द किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने किया जाये। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –

प्रकरण क्रमांक—SM-PRR-2026-03856

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "SAURASHTRA", प्रमोटर—श्री नमन गोयल, पता—ए.एस/ 111, अगेय नगर, जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट—"SAURASHTRA" पता—अगेय नगर, जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	— प्राधिकरण द्वारा प्रमोटर के दायित्वों का अधिनियम अनुसार निर्वहन नहीं किये जाने के कारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 23.09.2026 को अनावेदक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया। — अनावेदक सुनवाई हेतु उपस्थित हुआ, किन्तु किसी प्रकार जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही तर्क प्रस्तुत किया गया। — रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा के प्रतिवेदनानुसार पंजीकृत प्रोजेक्ट का सक्षम प्राधिकारी संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर के द्वारा छ.ग. भूमि विकास नियम, 1984 के नियम-25 के तहत प्रतिसंहृत किया जा चुका है। अतः प्रोजेक्ट पंजीकृत रहने योग्य नहीं रह गया है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। — आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। — प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।	
	सही /— (धनंजय देवांगन) सदस्य	सही /— (संजय शुक्ला) अध्यक्ष